संख्या-4/2020/740 /78-2-2020-6आई0टी0(2)/2005

प्रेषक,

ऋषिरेन्द्र कुमार
विशेष सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

उद्योग निदेशक,
कानपुर, उ0प्र0।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-2 लखनऊः दिनांकः 19 फरवरी,2020

विषयः वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्टेट डाटा सेंटर की प्रतिबद्व देयताओं के भुगतान एवं अपरिहार्य व्ययों को वहन करने हेतु धनराशि रू0 201.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबंध निदेशक यूपीडेस्को के पत्र संख्या-UPSDC/Budget/4448, दिनांक 20-12-2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में स्टेट डाटा सेंटर हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 3500/ लाख (रू0 पैतीस करोड मात्र) में से स्टेट डाटा सेंटर की प्रतिबद्व देयताओं के भुगतान एवं अपरिहार्य व्ययों को वहन करने हेतु धनराशि रू0 201.00 लाख(रू0 दो करोड़ एक लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

1. उद्योग निदेशक द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-1-417/10-2013-16/94, दिनांक 26 फरवरी, 2013 में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर के माध्यम से सम्बन्धित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
2. उक्त धनराशि की वित्तीय स्वीकृत इस शर्त के साथ दी जा रही है कि इसके भुगतान में संबधित योजना में पारित एमओयू की शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
3. उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5,भाग-1 के प्रपत्र संख्या-6(ए) (संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबंध निदेशक,यूपीडेस्को द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।
4. उक्त धनराशि का लेखा-जोखा उद्योग निदेशक, कानपुर द्वारा अपने यहां भी रखा जायेगा।
5. उक्त धनराशि का उपयोग एसडीसी के आपरेशनल व्ययों एवं एस.डी.सी. योजना अन्तर्गत निर्गत दिशा-निर्देश के अनुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
6. उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय उपरान्त प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार,उ0प्र0 इलाहाबाद उद्योग निदेशक,कानपुर तथा आईटी एवं इले0 अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
7. धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता होने पर राजकोष से किया जायेगा।
8. धनराशि आहरित कर बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।
9. स्वीकृत धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22-3-2019 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
10. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-7 उद्योग(भारी मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में लेखा शीर्ष ''2852-उद्योग-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-17-स्टेट डाटा सेंटर-42अन्य व्यय'' के नामे डाला जायेगा।

1. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0प0संख्या-ई-6/148 /दस-2020 दिनांकः14-02-2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

(ऋषिरेन्द्र कुमार)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या- 4/2020/740 (1)/78-2-2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकर (लेखा परीक्षा), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ, उ0प्र0।
5. संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0,लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजन अनु0-4 ।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनु0-3/औद्योगिक विकास अनु0-2 ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बराती लाल)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।